

28 28

न्यायालय रायचूर मण्डल मध्य म्वालिफर

उक्त उमेद

12/7 विविध

11/विविध/सतना/श्रु-र/2017/2527

शेर बहादुर सिंह अन्य समयलाल सिंह
निवासी निम्बहटा तहसील रायपुर बघेलान
जिला - सतना - आवेदक

श्री Mrs. Belyamkar
द्वारा आज दि 3/8/17 को
प्रस्तुत

विवरह

मुन्नाउफु मणिराज सिंह अन्य समय
लाल सिंह परिहार एवं 09 अन्य
निवासी गण ग्राम - निम्बहटा तहसील
रायपुर बघेलान जिला - सतना

3/8/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट

आवेदन पत्र अन्तर्गत द्वारा 152 ~~...~~ ए.ए.ए.

माननीय न्यायालय,

आवेदन पत्र निम्नांशुक्त अनुसार:

- 1) यह कि आवेदक के हित में दिनांक 15-8-2005 को वासियतनामा अनशमिरट्टी निष्कलित किया गया था।
- 2) यह कि माननीय न्यायालय के आदेश के पद उमेद 6 की 14 नम्बर की पंक्ति में वासियतनामा दिनांक 15/8/2005 नोटशईज्ड है अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि को सुधार पान न्यायहित में उचित है।

Mrs. Belyamkar
3/8/17

अतएव यह है कि आवेदन पत्रकीतर
किया जाकर माननीय न्यायालय के आदेश में
उल्लिखित गोरखबन्दु शब्द को विलोपित
किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान
किये जायें।

दस्तावेज: 3/8/2017


आवेदक
श्री Belyamkar
द्वारा अर्जित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक तीन/विविध/सतना/भू.रा./2017/2527

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-08-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश वेलापुरकर ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 1369-दो/16 में पारित आदेश दिनांक 27-7-17 में आदेश के पेज नंबर 4 की 21 वीं लाइन में नोटराइज्ड शब्द का उल्लेखित नहीं है अतः नोटराइज्ड शब्द विलोपित किया जावे।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। चूँकि नोटराइज्ड शब्द निगरानी मेमो में , जो कि टंकित त्रुटि से पेज नं. 4 की 21वीं लाइन में टंकित हो गया, जिसे विलोपित किया जाता है। इस आदेश पत्रिका को आदेश दिनांक 27-7-17 का अंग माना जावेगा।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	